



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 1991/चैत्र 1, 1913

No. 111] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 1991/CHAITRA 1, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 20 मार्च, 1991

सा.का.नि. 172 (अ).—पामपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) (जिसे एम्बोपरान्त "उन्नत पधिनियम" कहा गया है) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 80(ई) का उन बातों के विषय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसा अधिक्रमण करने से पूर्व किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है. केन्द्रीय सरकार

की यह राय देने के कारण कि जमहिर में ऐसा करना आवश्यक तथा उचित है, इसके द्वारा 2 अगस्त, 1990 से श्रावण होकर 14 मार्च, 1991 को समाप्त प्रवाधि तक के दौरान इराक और कुवैत से भारत प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (2) के उपबन्ध (ज) के प्रावधानों के प्रबल करने से छूट देती है।

[सं. टी-4111/32/8/90]

महांक, संयुक्त सचिव
(सी.पी.ओ.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 1991

G.S.R. 172 (E).—In the exercise of the powers conferred by Section 22 of the Passports, Act, 1967 (15 of 1967), (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. G.S.R. 80(E), dated 19th February, 1991, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government being of the opinion that it is necessary and expedient in public interest so to do, hereby exempts the persons repatriated from Iraq or Kuwait to India, during the period commencing on 2nd August, 1990 and ending with 14th March, 1991, from the operation of the provisions of clause (h) of Sub-Section(2) of Section 6 of the said Act.

[No. T. 4111/32/8/90]

SHASHANK, Jt. Secy. (CPV)